कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।

(खनन–अनुभाग)

संख्याः–441/खनिज/विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू /2021 दिनांकः 25.02.2021

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–इटावा में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्र शासनादेश संख्या 781/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह(अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये ई–विविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है पूर्व में पत्र संख्या 123/खनिज/विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू/2020 दिनांक 28.05.2020 व पत्र संख्या 124/खनिज/विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू/2020 दिनांकः28.05.2020 व पत्र संख्याः–224 (2) /खनिज/विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू /2020 दिनांकः 01.07.2020 को ई–निविदा निकाली गई थी जिसमें कोई निविदा प्राप्त नही हुई थी तथा उक्त खनन क्षेत्र की दिनांक 02–03–2021 से 06–03–2021 (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल ''etenders.up.nic.in'' पर पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरणः–

क0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये	जियोकोर्डिनेट	उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर xनिर्धारित/ आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	इटावा	घूमनपुरा	47/1 ख	31.0 एकड़	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	A N 26° 44'43" E 78° 59'26" B N 26° 44'40" E 78° 59'24" C N 26° 44'49" E 78° 00'09" D N 26° 44'48" E 78° 00'11"	साधारण बालू	75273	4892745–00	2446372.50

1. अनुज्ञापत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई,अगस्त,सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर, या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी ।
3. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री–बिड अर्नेष्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेष्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी । प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग अर्नेष्ट मनी का बैक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एंव खनन स्थल के लिये पहॅुच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वंय आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस संबंध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा ।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडर संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कान्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइन एजेन्सी से टाईप–।। का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के माध्यम से " etenders.up.nic.in" पर ऑन लाइन पंजीयन कराना होगा । पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा " etenders.up.nic.in" के पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वंय जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें ।

(ग) बिडर्स/कान्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स ई निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से संबंधित अधिकारीगण,निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी एंव निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है ।

6. निविदादाता द्वारा ऑन लाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय " etenders.up.nic.in" पोर्टल पर स्वंय की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकि विड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एंव निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

   प्रारूप–2 की सूचनायें:–

   क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है ।

   ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

   ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई–मेल एंव मोबाइल नम्बर।

   घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है ।

   ड़. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/– का चालान संख्या व दिनांक ।

   च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक

   छ. पैन कार्ड का क्रमांक

   ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो ।

   झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्यां।

   स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्रः–

   क. ई निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

   ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

   ग. पैनकार्ड

   घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पटटाधारक /परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथपत्र ।

   ड़. संबंधित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र । फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा ।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पांच कार्य दिवसो में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति दो सदस्यो के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा ।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी । अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा ।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खाले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक संबंधित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी । जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा, उसकी निविदा नही खोली जायेगी एंव निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा । सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑन लाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखो की मूल प्रति संबंधित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखो से मिलान कर लिया जायेगा । अभिलेखो के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेष्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा ।

12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि मे से अर्नेष्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसो के अन्दर जमा करना पड़ेगा । शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा । निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एंव टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आश्य का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा । अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के संबंध में सहमति पत्र लिया जायेगा ।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एंव सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा ।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो , के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा ।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एंव अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एंव प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा ।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा ।
18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशो/निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
19. अन्य नियम एवं शर्ते– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(श्रुति सिंह)
जिलाधिकारी, इटावा।

<u>संख्याः व दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित के सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ।
3– आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
6– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग लखनऊ।
7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन0आई0सी0 लखनऊ।
8– प्रबंध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 अशोक मार्ग लखनऊ।
9– समस्त उप जिलाधिकारी इटावा को तहसील के सूचनापट पर प्रदर्शित कराने हेतु।
10– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी इटावा।
11– जिला सूचना अधिकारी, इटावा को विज्ञप्ति की दो प्रतियां इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि वह विज्ञप्ति को दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें एवं प्रकाशित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
12– नाजिर सदर इटावा को सूचनापट पर चस्पा करने हेतु ।

(श्रुति सिंह)
जिलाधिकारी, इटावा।

कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।
(खनन–अनुभाग)

संख्याः– 440 / खनिज / विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू / 2021 दिनांकः 25.02.2021

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–इटावा में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्र शासनादेश संख्या 781 / 86–2020–14(सा0) / 2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह(अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये ई–विविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है पूर्व में पत्र संख्या 123 / खनिज / विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू / 2020 दिनांक 28.05.2020 व पत्र संख्या 124 / खनिज / विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू / 2020 दिनांकः28.05.2020 व पत्र संख्याः–224(2) / खनिज / विज्ञप्ति–अल्प निविदा सा0बालू / 2020 दिनांकः 01.07.2020 को ई–निविदा निकाली गई थी जिसमें कोई निविदा प्राप्त नही हुई थी। तथा उक्त खनन क्षेत्र की दिनांकः02–03–2021 से 06–03–2021 (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल ‘‘etenders.up.nic.in‘‘ पर पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये	जियोकोर्डिनेट	उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित / उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर xनिर्धारित / आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	इटावा	घूमनपुरा	47 / 1 ख	31.0 एकड़	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	A N 26° 44'43" E 78° 59'26" B N 26° 44'40" E 78° 59'24" C N 26° 44'49" E 78° 00'09" D N 26° 44'48" E 78° 00'11"	साधारण बालू	75273	4892745–00	2446372.50

2– ई–निविदा की काल योजना एंव अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी ।

ई–निविदा आमंत्रण	दिनांकः02.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 06.03.2021 को सांय 05.00 बजे तक
मूल अभिलेख को जमा करने का स्थान व समय	कार्यालय जिलाधिकारी(खनन अनुभाग) इटावा में दिनांक 08.03.2021 को अपरान्ह 01.00 बजे तक
ई–निविदा को खोलने का दिनांक व स्थान	कार्यालय जिलाधिकारी इटावा में दिनांक 08.03.2021 को अपरान्ह 02.00 बजे से

ई–निविदा की कार्यवाही ई–टेण्डर पोर्टल “www. etenders.up.nic.in” पर सम्पादित की जायेगी। निविदा से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया एंव शर्तो की जानकारी निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) से जानकारी प्राप्त की जा सकती ।

(श्रुति सिंह)
जिलाधिकारी, इटावा।